201

संख्या– /XXII/2011–1(5)2005/टी.सी.

प्रेषक,

डी.के.कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एंव लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

विषय :– **उत्तराखण्ड राज्य के पूर्णकालिक श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यू0 हैल्थ (स्मार्ट कार्ड) नकद रहित योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महादेय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–856/सू.एवंलो.स.वि(प्रेस)356/2003–05, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के पूर्णकालिक श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यू0 हैल्थ (स्मार्ट कार्ड) नकद रहित योजना के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्थानुसार आच्छादित किये जाने का शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है :–

(i) यू0 हैल्थ (स्मार्ट कार्ड) योजना की सुविधा सूचना विभाग में पूर्णकालिक श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी प्रदान की जायेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत सूचना विभाग में पूर्णकालिक श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी वही सुविधायें प्राप्त होगी, जो राजकीय कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को प्राप्त है तथा उन्ही शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन योजना का लाभ दिया जायेगा जो उत्तराखण्ड शासन एवं कार्यदायी संस्था के साथ किये गये अनुबन्ध में वर्णित है। उक्त योजना के अन्तर्गत सूचना विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था से पृथक से अनुबन्ध की कार्यवाही नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये संपादित की जायेगी। राज्य में पूर्णकालिक श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों की कुल संख्या लगभग 900 है। राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या 88 है तथा अन्य जिलास्तरीय मान्यता प्राप्त 759 पत्रकार है।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत पत्रकारों को राजकीय कर्मियों की भांति यू0 हैल्थ (स्मार्ट कार्ड) नकद रहित योजना में दिये गये निम्न विकल्पों के अनुसार देय होगी :–

क्र.स	श्रेणी	रूपये
1	श्रेणी–1	5000.00
2	श्रेणी–2	3500.00
3	श्रेणी–3	1500.00
4	श्रेणी–4	700.00

उपयुर्क्त विकल्प में से किसी एक विकल्प को संबंधित पत्रकार द्वारा चयन किया जाना होगा। विकल्प प्रारूप पर संबंधित पत्रकार द्वारा सहमति उपलब्ध कराई जायेगी। विकल्प के आधार पर वार्षिक अंशदान आंगणित किया जायेगा, जिसमें से 50 प्रतिशत संबंधित पत्रकार तथा 50 प्रतिशत सूचना विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

(iii) उक्त वार्षिक अंशदान पर औसतन अनुमानित कुल रूपये 15 से 20 लाख का व्यय आयेगा, जिसका वहन पत्रकार कल्याण कोष से किया जायेगा।

(iv) यह योजना पूर्णतः वैकल्पिक होगी अर्थात् जिस पत्रकार द्वारा इस योजना को नहीं अपनाया जायेगा, उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या–149(1)/XXII/2011, दिनांक 13 मई, 2011 में उल्लिखित सुविधा अनुमन्य होगी।

3– साथ ही यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति उक्त योजना से लाभान्वित किये जाने के संबंध में अनुबन्ध में संशोधन की कार्यवाही चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्पादित की जायेगी तथा इस योजना में सम्मिलित होने वाले पत्रकारों पर भारित व्ययभार सूचना विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(डी.के.कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 556(1)/XXII/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढवाल।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा) 23.12.2011
अपर सचिव।